मध्यप्रदेश शासन

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक एफ.-11/10/89/49-10, भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 1989.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासन के विभागों द्वारा लोक आयुक्त संगठन के माध्यम से जांच कराया जाना.

संदर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ. 1(4) 82/6/1, दिनांक 23-4-83 एवं समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 18-9-84.

सचिव, लोक आयुक्त कार्यालय द्वारा शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि शासन के विभागों/विभागाध्यक्षों/विभागीय प्रमुखों द्वारा कभी-कभी प्रकरणों की जांच के संबंध में सीधे महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोक आयुक्त कार्यालय से पत्र व्यवहार किया जाता है. चूंकि, महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई करते हैं, इसलिये किसी भी मामले की जांच लोक आयुक्त संगठन के माध्यम से कराने के लिये विशेष पुलिस स्थापना के किसी अधिकारी से पत्र व्यवहार न किया जाकर लोक आयुक्त संगठन के सचिव से ही किया जाए.

2. लोक आयुक्त संगठन से जांच कराये जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा समय-समय पर विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये हैं जिनके अनुसार यदि लोक आयुक्त संगठन से कोई भी जांच कराया जाना प्रस्तावित हो तो उसके लिये पहले मूल प्रकरण इस विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक है.

3. अतः आपसे निवेदन है कि आप किसी प्रकरण की लोक आयुक्त संगठन से जांच कराया जाना आवश्यक समझते है तो प्रथमतः इस विभाग की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् इस संबंध में विशेष पुलिस स्थापना लोक आयुक्त संगठन के किसी अधिकारी से सीधे पत्र-व्यवहार न करते हुए सचिव, लोक आयुक्त कार्यालय से ही पत्र-व्यवहार करें.

हस्ता./-
(आर. एल. वार्ष्णेय)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

पृ. क्र. एफ. 11(10) 89/49-10, भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 1989.

प्रतिलिपि :—

सचिव, लोक आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 3166, दिनांक 28-2-89 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित.

हस्ता./-
(आर. एल. वार्ष्णेय)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.